

प्रपत्र-एफ

अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र (तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)
(नियम 15 देखिए)

4(6)

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के उपबंधों के अधीन.....
द्वारा पारित आदेश संख्या.....

दिनांक के विरुद्ध एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं।

1. अपील दायर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों,
फर्म या कम्पनी का नाम व पता
2. व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म
या कम्पनी का व्यवसाय
3. उस प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अपील
दायर की जा रही है, के आदेश की
संख्या और दिनांक
- (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)
4. अपीलार्थी/अपीलार्थियों को आदेश
की संसूचना का दिनांक
5. खनिज/खनिजों, जिनके लिए अपील दायर
की जा रही है
6. उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के
नियम 15 के खण्ड (ख) में यथाविहित रीति के
अपील के लिए जमा किये गये 500 रुपये की
विहित फीस का विवरण-खजाना चालान संख्या
(प्रतिलिपि संलग्न की जाय)
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये
जाने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर
अपील दायर की गयी है ?
8. यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली,
2002 के नियम 15 के खण्ड (क) के अधीन दिये
गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के
भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण
9. बनाये गये पक्ष/पक्षकारों, यदि कोई हो, के
नाम और पूरा पता
10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की
संख्या
11. अपील के आधार
(विवरण पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
(एक) संक्षिप्त तथ्य
(दो) आधार
(तीन) प्रार्थना
12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी
है तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्न किया जाय।

संलग्नक

स्थान :
दिनांक :

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता।

प्रपत्र-जी
मुख्य खनिजों के परिवहन के लिए अभिवहन पास
(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक

समय

1. पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी का नाम
2. खान की अवस्थिति
3. खनिज का नाम
4. खनिज की मात्रा
5. किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज का उपयोग किया जायेगा
6. गन्तव्य स्थान
7. परिवहन साधनों का विवरण
(यदि यान हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या)
8. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह
9. प्रेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता
10. प्रेषण के भारसाधक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर
11. अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर

टिप्पणी

(1) प्रतिपत्र खान में रख लिया जायेगा।

(2) दो प्रतिपत्र प्रेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपत्र पास को जाँच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।